भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 45 /2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर, 2015

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.90 (घ) में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.90 (घ) में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :

प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का मौजूदा पैरा 2.90 (घ)	**प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का संशोधित पैरा 2.90 (घ)**
परिशिष्ट–2झ में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट–2झ के अनुलग्नक–I के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अपना आवेदन कर सकते हैं।	परिशिष्ट–2झ में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट–2झ के अनुलग्नक–I के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय को अपना आवेदन कर सकते हैं।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव** : इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने के पश्चात् परिशिष्ट–2झ में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण अपना आवेदन परिशिष्ट और आयात–निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट–2झ के अनुलग्नक–1 के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के बजाए विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(अनुप वधावन)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ईमेल : dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/93/180/60/एएम–16/पीसी–2 (बी) से जारी]